

11-619 वकील उभयपक्ष उप० वकील अप्रार्थी
ने प्रा०पत्र दि० 16-4-19 का जबाब प्रस्तुत किया
वास्ते बखस प्रा०पत्र पत्रावली दि० 96-6-19
को पेश हो। न. इ. आदेश आगामी पेशी तक बरखा
जाता है।

26-619 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/परिवारी/
अपीलार्थी/रेस्पॉन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष
उपस्थित हैं/अनुपस्थित है। श्रीमान् जिला
अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर है/अन्य
कार्यो में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4-7-19
को पेश हो।

4-7-19 वकील उभयपक्ष उप० वास्ते बखस
प्रा०पत्र पत्रावली दि० 11-7-19 को पेश हो।
न. इ. आदेश आगामी पेशी तक बरखा जाता
है।

11-7-19 वकील उभयपक्ष उप० न. इ. प्रा०पत्र
पर बखस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि०
25-7-19 को पेश हो।

25-7-19 वकील उभयपक्ष उप० समयाभाव के
कारण निर्णय नहीं लिखा जा सका। वास्ते निर्णय
पत्रावली दि० 31-7-19 को पेश हो।

31-7-19 वकील उभयपक्ष उप० प्रार्थी द्वारा
प्रस्तुत न. इ. प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है।
विस्तृत निर्णय प्रत्येक से लिखा जाकर पत्रावली
में शामिल किया गया। पत्रावली चेंसलर नुमा
देकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल
वाद के साथ संलग्न रहे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला
कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापूर सिटी जिला सवाई माधोपुर

सूचना नम्बर

तारीख रजू

तारीख निर्णय

६६/२०१८

९.१०.२०१८

३१-७-२०१९

अनुन गुप्ता पुत्र घूडमल गुप्ता जाति महाजन निवासी उदेईमोड, गंगापूरसिटी
तहसील गंगापूर सिटी —प्रार्थी

बनाम

१. बाबूलाल पुत्र रमसीला, गुर्जर निवासी बाईपास पेट्रोल पम्प के पास, गंगापूर
२. साधूलाल पुत्र रमसीला, गुर्जर निवासी बाईपास पेट्रोल पम्प के पास, गंगापूर
३. उप संजीवक तहसीलदार तहसील गंगापूर सिटी —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

श्री वृद्धिचन्द शर्मा, एडवोकेट, अप्रार्थी नं० १, २ की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नं० १, २ के पिता रमसीला पुत्र पांच्या जाति गुर्जर निवासी मिर्जापुर से उसकी बाईपास रोड गंगापूर सिटी पर स्थित खातेदारी भूमि ख०नं० २२१ रकबा ०.१४ है० में से ०.०७ है० भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक १०.११.२०१० को खरीदी थी। उसकी सीमाएँ रजिस्टर्ड विक्रयपत्र में इस प्रकार अंकित की गईं— विक्रयपत्र में बेची गई भूमि मुख्य सडक बाईपास के सहारे पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है जो क्रेता की भूमि हाल ख०नं० २२२ व २२३ के सहारे स्थित है तथा विक्रय पत्र में यह भी अंकित किया गया था कि ख०नं० २२१ की जो भूमि बाईपास रोड के सहारे आपको बेची गई है उस तरफ विक्रेता की कोई भूमि शेष नहीं है यानि मुझ विक्रेता की भूमि पूर्व दिशा की तरफ रही है। उक्त विक्रय पत्र पर विक्रेता के पुत्र, पुत्रियों व पौत्र की भी पूर्ण सहमति है। खरीद के बाद से ही प्रार्थी ने अपनी भूमि में कुछ हिस्से में बाउण्ड्रीबाल बना रखी है तथा मकान बना हुआ है तथा कुछ हिस्सा खाली है जिस पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी ने उक्त भूमि की नक्शे में तरमीम करवाते समय नक्शा ट्रेस हाल में जो नया नम्बर तरमीम करवाया है उसमें अप्रार्थी के हिस्से की बची हुई ०.०५ है० भूमि को भी हाल ख०नं० २२१ में पश्चिम दिशा की ओर सम्मलित करवा दिया। अप्रार्थीगण का हिस्सा मुख्य सडक से पूर्व की ओर था, हलका पटवारी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के अनुसार वर्तमान नक्शे में तरमीम नहीं की गई तथा जमाबंदी हाल में भी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सम्मलित रूप से खातेदार



उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

दर्ज कर दिया जबकि रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के अनुसार भी अप्रार्थीगण का एवं प्रार्थी का हिस्सा पृथक पृथक हो गया था उसमें बंटवारे की भी कोई जरूरत नहीं थी। हलका पटवारी व हलका गिरदावर ने जो तरमीम की है वह गलत रूप से की है। उसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। हलका पटवारी व हलका गिरदावर द्वारा ख0नं0 221 के तरमीम किए हुए नम्बर 1284/221 रकबा 0.02 है0 व 221 रकबा 0.12 है0 तरमीम कर दिए तथा अप्रार्थीगण का जो रोड के पूर्व दिशा का हिस्सा था उसको भी प्रार्थी के रोड की तरफ लगवा हिस्सा में दर्ज कर दिया जबकि उनको रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के विपरीत नक्शे में तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं था। इस गलत तरमीम के आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 7.9.2018 को प्रार्थी को धमकी दी गई है कि हलका पटवारी व हलका गिरदावर ने रोड के पश्चिम दिशा में जो हमारे 5 एयर रकबे की तरमीम की है अब हम उसे जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दीगर व्यक्तियों को रहन, वय करें तथा प्रार्थी को बेदखल कर देंगे एवं उक्त भूमि में नींव खोदकर पुख्ता निर्माण करेंगे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि वे बाईपास रोड के पश्चिम दिशा में रोड के लगवा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के मुताबिक प्रार्थी की जो ख0नं0 221 में 0.07 है0 भूमि शेष रही है उसे दीगर जगह रहन वय नहीं करे तथा उसमें कोई नींव खोदकर निर्माण कार्य नहीं करें तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखें व प्रार्थी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें ना ही किसी अन्य से करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थी ने जो दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है वह विधि द्वारा पोषणीय नहीं होने से खारिज होने काबिल है। जो तरमीम ख0नं0 221 बाबत रकबा 0.14 है0 सक्षम अधिकारी द्वारा की गई है वह तरमीम भौतिक सत्यापन के आधार पर सही रूप से संपादित की गई है। उस तरमीम को दुरुस्त कराने का रिकार्ड के विपरीत होने से प्रार्थी को वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। विक्रयपत्र अप्रार्थीगण के पिता रमशीला द्वारा दिनांक 10.11.2010 को रजिस्टर्ड करवाया गया था उस विक्रय पत्र पर रमशीला के बाएं हाथ की अंगूठा निशानी है। रमशीला पढा लिखा नहीं है, हस्ताक्षर करना भी नहीं जानता है जिस कारण प्रार्थी ने विक्रय पत्र में कोई




उप जिला कलेक्टर
गंगानपुर सिटी

काला इत्यादि टाइप करवा दी हो तो उस स्थिति में रमशीला वैधानिक रूप से बाबंद नहीं है। इवारत विधि विरुद्ध होने के कारण अप्रार्थी नं0 1 व 2 के विरुद्ध प्रमादी नहीं है। ख0नं0 221 रकबा 0.14 है0 का प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1, 2 ने दिनांक 1.1.2012 को रमशीला के जीवनकाल में मौखिक बंटवारा किया था। इस बटवारे में कान्जी माली की जमीन एवं शमशान घाट के सप्लेट 0.05 है0 भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1, 2 को कब्जा दिया। तभी से अप्रार्थी नं0 1, 2 का 0.05 है0 भूमि पर बाईपास सडक के पश्चिम की ओर कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी बदयांति से अप्रार्थी सं0 1, 2 की खातेदारी की भूमि 0.05 है0 को गैरकानूनी रूप से इस दावे के माध्यम से अधिकार करना चाहता है जिसका प्रार्थी को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी का दावा इस प्रार्थना पत्र टी0आई0 इसी बिन्दु पर खारिज होने काबिल है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र टी0आई0 विरुद्ध अप्रार्थी नं0 1, 2 मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस, फोटोकोपी विक्रयपत्र दिनांक 10.11.2010 प्रस्तुत किए हैं।

अप्रार्थीगण की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी ने दिनांक 10.11.2010 को अप्रार्थी नं0 1, 2 के पिता रमशीला गुर्जर से भूमि ख0नं0 221 रकबा 14 एयर ग्राम निर्जापुर में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 7 एयर भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदी थी। इस रजिस्टर्ड विक्रयपत्र में अंकित विवरण के अनुसार यह 7 एयर भूमि मुख्य सडक बाईपास के सहारे पश्चिम दिशा की तरफ स्थित है, क्रेता की जमीन ख0नं0 222 व 223 के सहारे स्थित है तथा अब ख0नं0 221 की जमीन बाईपास के सहारे पश्चिम दिशा की तरफ विक्रेता की कोई भूमि शेष नहीं है, विक्रेता की 7 एयर भूमि पूर्व की तरफ रहेगी जो बाईपास के दूसरी तरफ रही है। इस विक्रय पत्र पर अप्रार्थी नं0 1 व 2 के सहमति के हस्ताक्षर मौजूद हैं परन्तु पटवारी व गिरदावर हलका ने इस विक्रय पत्र के विपरीत नक्शा ट्रेस में तरमीम कर दी है तथा अप्रार्थी नं0 1 व 2 का 5 एयर रकबा प्रार्थी की पूर्व की खातेदारी भूमि के लगवा तरमीम कर दी है जबकि इनकी 5 एयर भूमि प्रार्थी की भूमि के लगवा रही ही नहीं है। अब इस गलत



उप जिला कलेक्टर
गंगाधर सिटी

जमीन के आधार पर अप्रार्थी नं० 1 व 2 प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि को अन्य लोगों को बेचने पर आमादा हैं, भूमि में नींव खोदकर पुख्ता निर्माण कराने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।


अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपनी बहस में कहा कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम सही प्रकार से की गई है। अप्रार्थी नं० 1 व 2 के पिता बिना पढे लिखे थे इसलिए कोई गलत इबारत विक्रय पत्र में टाइप करवा दी गई हो तो उससे अप्रार्थी नं० 1 व 2 पाबंद नहीं है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को कोई धमकी नहीं दी है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों पर यह दावा व टी० आई० प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी विक्रय पत्र दिनांक 10.11.2010 के अनुसार भूमि ख०नं० 221 ग्राम मिर्जापुर के खातेदार रमसीला गुर्जर द्वारा इस भूमि के रकबा 14 एयर में से 1/2 हिस्सा प्रार्थी को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान किया गया है। इस विक्रयपत्र में अंकित विवरण के अनुसार रमसीला गुर्जर द्वारा प्रार्थी को बेची गई ख०नं० 221 के 1/2 हिस्से की अर्थात् 7 एयर भूमि प्रार्थी के ख०नं० 222 व 223 के सहारे स्थित है। इस विक्रय पत्र में यह भी विवरण अंकित है कि अब ख०नं० 221 की जमीन बाईपास के सहारे पश्चिम दिशा की तरफ मुझ विक्रेता की कोई भूमि शेष नहीं है, शेष 7 एयर भूमि पूर्व की तरफ रहेगी जो बाईपास के दूसरी तरफ रही है। प्रार्थी का कथन है कि नक्शा ट्रेस में राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो तरमीम की गई है वह गलत की गई है। अप्रार्थीगण की ख०नं० 221 की कोई भूमि प्रार्थी के खेत ख०नं० 222 व 223 के सहारे नहीं बचती है। फोटोकोपी नक्शा ट्रेस के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रार्थी का कथन सही प्रतीत होता है। जहां तक अप्रार्थीगण के इस कथन का प्रश्न है कि उनका पिता बिना पढालिखा था इसलिए गलत इबारत विक्रयपत्र में लिखवा दी गई होगी, हम अप्रार्थीगण से सहमत नहीं हैं क्योंकि इस विक्रयपत्र पर सहमति स्वरूप स्वयं अप्रार्थी नं० 1 व 2 के हस्ताक्षर मौजूद हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में जाते हैं। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे आराजी ख०नं० 221




जिला मजिस्ट्रेट
अलवर, राजस्थान

प्रद्युम्न बनाम बाबूलाल वगैरा, टी0आई0 प्रा0पत्र
(5)

अन निर्जानुब बाईपास रोड के पश्चिम दिशा में रोड के लगवा रजिस्टर्ड
डिक्लरेशन के अनुसार प्रार्थी की ख0नं0 221 में शेष रही 7 एयर भूमि को
दौगर जगह रहन वय नहीं करें, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य
नहीं करें एवं रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाए रखें।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल
बद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 31-7-2019को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी